



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-77

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 271678 दिनांक 15/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	--------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Nidhi Gupta W/o RAJIV GUPTA	श्री हनुमान सहाय गुप्ता पुत्र श्री चिरंजी लाल खण्डेलवाल	SA15	138.88 SQ. YARD	Private	NARAYAN SAGAR-ABC Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना आवासीय योजना नारायण सागर एबीसी के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एसए-15 क्षेत्रफल 138.88 वर्गमीटर का पट्टा श्री हनुमान सहाय गुप्ता पुत्र श्री चिरंजी लाल खण्डेलवाल के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 20.05.2014 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान शिमला गुप्ता पुत्री श्री घासी लाल को किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 06.03.2019 को नियुक्त रजि0 मु0आमधारक श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री श्रवण कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 08.05.2019 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान आवेदक श्रीमती निधी गुप्ता पत्नी श्री राजीव गुप्ता को किया गया।
---	-----------------------------------	---	------	--------------------	---------	---	------------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Nidhi Gupta W/o RAJIV GUPTA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।